आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 112/13–14

मु०सुनैना त्रिपाठी वनाम् कृष्ण कन्हैया तिवारी एवं अन्य

आदेश

31.01.14

आवेदिका मु० सुनैना त्रिपाठी पति स्व० रामकृपाल त्रिपाठी साकिन सरवाली थाना करपी जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का बहिस्से बराबर कर तख्ताबंदी कराने का अनुरोध किया है। साथ ही प्रश्नगत् भूमि का पैमाईश एवं आवेदिका के हिस्से पर अधिकार एवं कब्जा की संपुष्टि का भी अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा सरवाली थाना करपी जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता नं०	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
51	391	$42\frac{1}{2}$ डी०	उ०– रास्ता द०– चन्द्रिका तिवारी पू०– मिडिल स्कूल ,प०– देवकान्त तिवारी

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई। विपक्षीगण को सर्वप्रथम डाक के द्वारा नोटिस भेजा गया तदुपरान्त अनुसेवी से नोटिस तामिला कराया गया। अनुसेवी ने प्रतिवेदित किया कि विपक्षीगण नोटिस लेने से इनकार किया और दो गवाहों का हस्ताक्षर लिया। प्राधिकार द्वारा नोटिस का तामिला संपुष्ट किया गया। विपक्षीगण वाद में उपस्थित नही हुए और वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि खाता नं० 51,प्लॉट नं० 391 रकवा 85 डी० के खतियानी रैयत जयगोविन्द तिवारी थे। जय गोविन्द तिवारी के दो पुत्र– जानकी तिवारी वो चन्द्रिका तिवारी थे। जयगोविन्द तिवारी के मृत्यु के पश्चात् उनके दोंनों पुत्र बहिस्से बराबर बॉट लिये और दखल कब्जा में आये।

(2) खतियानी रैयत जयगोविन्द तिवारी के वंशावली निम्न है:–

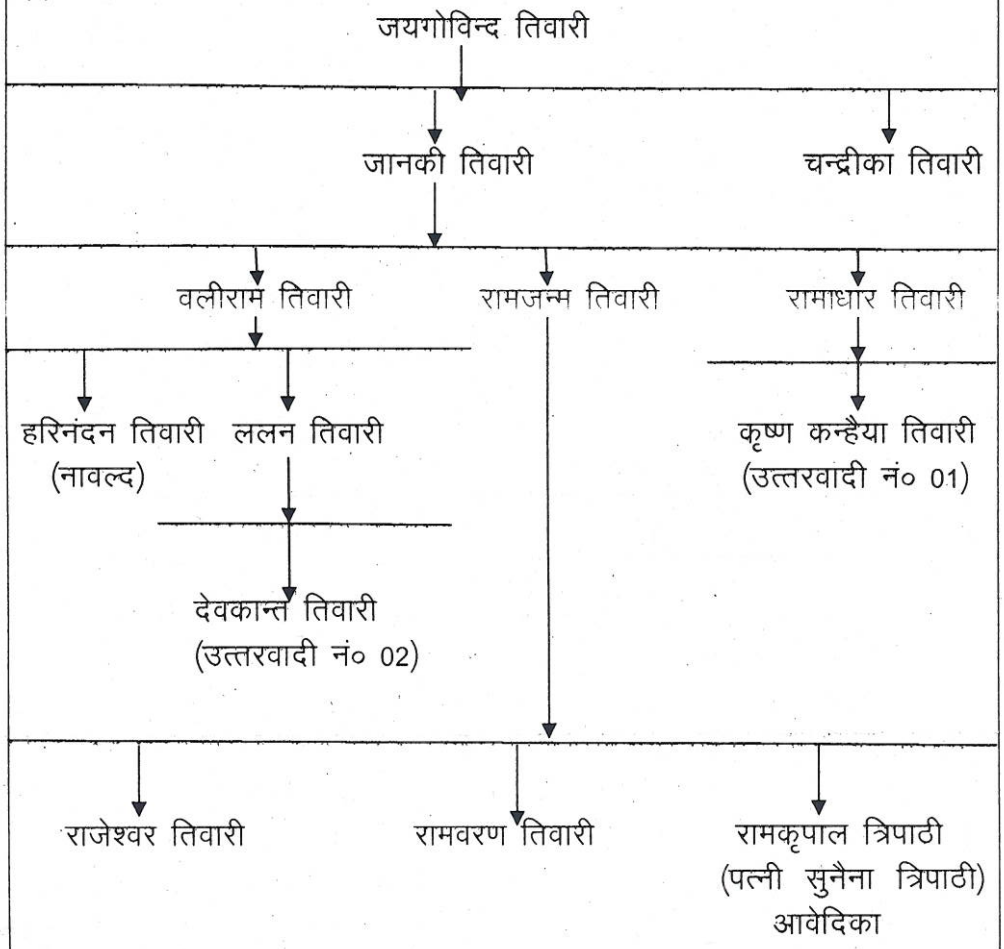

(3) विवादित भूमि रकवा $42\frac{1}{2}$ डी० जानकी तिवारी के वंशजो को प्राप्त हुआ और उनके पुत्रों ने विवादित भूमि के साथ साथ अन्य भूमि का बॅटवारा किया और प्रश्नगत् भूमि के एवज में अन्य फरीकैनों ने दूसरी जमीन लेकर लादावी कर दिया।

(4) प्रश्नगत् खाता खेसरा की भूमि में स्व० रामकृपाल त्रिपाठी पिता रामजन्म तिवारी, आवेदिका के पति को 14 डी० कसरे वाला वो कृष्ण कन्हैया तिवारी पिता रामाधार तिवारी को 14 डी० (कसरे वाला) वो देवकान्त तिवारी पिता स्व० ललन तिवारी को 14 डी० (कसरे वाला) प्राप्त हुआ।

(5) उतरवादीगण आपस में मेल में आवेदिका को प्रश्नगत् खाता खेसरा की भूमि को धटने की बात करते हुए मात्र 11 डी० भूमि ही दिया जबकि कुल रकवा $42\frac{1}{2}$ डी० मौके पर उपलब्ध है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदिका ने विवादित भूमि का बहिस्सा बराबर

बॅटवारा कर तख्ताबंदी कराने का अनुरोध किया है। आवेदिका द्वारा दाखिल हकीयत बॅटवारा संख्या 55/1964 रामकृपाल तिवारी वल्द रामजन्म तिवारी वनाम् राजेश्वर तिवारी वो रामवरण तिवारी वल्दान रामजन्म तिवारी का अवलोकन किया। उक्त वाद में श्रीमती गिरजा कुँअर पति रामकृपाल तिवारी को विवादित खाता 51 खेसरा 391 रकवा 14 डी० मिला। विपक्षीगण जानकी तिवारी के अन्य दो पुत्रों के पुत्र है। इससे स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच विवादित भूमि का बॅटवारा पूर्व में ही हो चुका था और एक बार बॅटवारा होने के उपरान्त उसी भूमि का पुनः बॅटवारा नही किया जा सकता हैं। हकीयत वाद 55/1964 में स्व० रामकृपाल त्रिपाठी की पत्नी का नाम गिरजा कुँअर है। परन्तु इस वाद में आवेदिका सुनैना त्रिपाठी स्व० रामकृपाल त्रिपाठी की पत्नी है। आवेदिका ने स्पष्ट नहीं किया है कि गिरजा कुँअर या उनके उतराधिकारी जीवित है या नहीं।

उपरोक्त परिस्थिति में आवेदिका को किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है, वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

31.07

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

31.07

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।